

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी वाङ्गेर  
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस  
**आदेश**

दिनांक 25.07.2023

उपरिस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री छैलसिंह राठौड़
  2. रेस्पोंडेंटस संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह राठौड़
  3. रेस्पोंडेंटस संख्या 07 से 13 की तरफ से अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी
  4. रेस्पोंडेंटस संख्या 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री इकवाल खां
- अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये समान तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दर्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्ड खतेदार है। रिकॉर्ड खतेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोंडेंटस संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद विचाराधीन हैं। हस्तगत अपील मेंटेनेबल नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:-

**RRT 2016(1) Page 424**


रेस्पोंडेंटस संख्या 14 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद विचाराधीन हैं। हस्तगत अपील मेंटेनेबल नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोंडेंटस संख्या 07 से 13 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खानदानी सजरा पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी वादीनी की पैतृक भूमि कैसे है इससे संबंधित कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। वादीनी अपीलाधीन आराजी की रिकॉर्ड खतेदार नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाई जावे तो कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी  
वाङ्गेर

पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांतगण हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चारोजोही करे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांतगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांतगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांतगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व आवेदन संख्या 180/2015 बअनवान पेम्पादेवी बनाम आदुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 25.07.2023 को सुनाया गया।

  
(प्रतिष्ठा-सिद्धि) अपील प्राधिकारी  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर